राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या –1609 से 1629/2014/अलवर

एमनिटी बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0,बैंक स्टीट बाग नई दिल्ली जरिये प्राधिकृत व्यक्ति जसवन्त पुत्र जगराम,जाति–गुर्जर,निवासी–लिकपुर,तहसील–तिजारा, जिला–अलवर .....निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक,अलवर,प्रथम
2.उप महानिरीक्षक,पंजीयन एवं कलेक्टर मुद्रांक,अलवर .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री भवानी सिंह रावत .....प्रार्थी की ओर से
अधिकृत अधिवक्ता
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अधिवक्ता .....अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 30/10/2015

निर्णय

निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा यह निगरानियां उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) अलवर जिसे आगे कलक्टर (मुद्रांक) कहा जायेगा; के निम्नलिखित प्रकरणों में पारित आदेश निर्णय के विरूद्ध, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। इन प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है।

कम सं0	निगरानी संख्या	कलेक्टर का प्रकरण संख्या	विवादित आदेश दिनांक	विवादित मुद्रांक राशि
1	1609/2014	42/13	07.07.2014	100000/–
2	1610/2014	43/13	07.07.2014	25000/–
3	1611/2014	44/13	07.07.2014	32000/–
4	1612/2014	45/13	07.07.2014	100000/–
5	1613/2014	46/13	07.07.2014	5000/–
6	1614/2014	47/13	07.07.2014	100000/–
7	1615/2014	48/13	07.07.2014	100000/–
8	1616/2014	49/13	07.07.2014	25000/–
9	1617/2014	50/13	07.07.2014	67500/–
10	1618/2014	51/13	07.07.2014	100000/–
11	1619/2014	52/13	07.07.2014	31000/–
12	1620/2014	53/13	07.07.2014	61000/–
13	1621/2014	54/13	07.07.2014	95000/–
14	1622/2014	55/13	07.07.2014	46000/–
15	1623/2014	56/13	07.07.2014	30000/–
16	1624/2014	57/13	07.07.2014	45000/–
17	1625/2014	58/13	07.07.2014	5000/–
18	1626/2014	59/13	07.07.2014	29500/–
19	1627/2014	60/13	07.07.2014	100000/–
20	1628/2014	61/13	07.07.2014	85000/–
21	1629/2014	62/13	07.07.2014	100000/–

इन समस्त प्रकरणों में विवदित बिन्दु व पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे।

30-10-2015

लगातार.....2

प्रार्थी द्वारा ग्राम शेखपुर तह0 किशनगढ वास जिला–अलवर स्थित उक्त भूमि क्रय करने का विक्रय–पत्र उपर्युक्त तालिकानुसार मुद्रांक पत्रों पर दिनांक 06.12.2010 को लिखा गया। तत्पश्चात केता/विक्रेता द्वारा उक्त दस्तावेज पंजीयन करवाने से इन्कार कर दिये जाने के कारण उक्त टंकित मुद्रांक पत्र प्रार्थी (क्रेता) के काम में नहीं आने से मुद्रांक पत्र की राशि रिफण्ड हेतु प्रार्थी द्वारा रिफण्ड प्रार्थना पत्र कलेक्टर के समक्ष दिनांक 23.03.2011 को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा यह कहते हुए कि प्रार्थी द्वारा रिफण्ड प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2011 को प्रस्तुत किये है। अतः प्रार्थी के टंकित मुद्रांक पत्र राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 59(iii) के अन्तर्गत आना माना तथा यह निर्धारित समय सीमा 6 माह में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इसे अवधि बाहर मानते हुए आदेश दिनांक 07.07.2014 से खारिज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 07.07.2014 से व्यथित होकर यह समस्त निगरानियां प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि पक्षकारों द्वारा विक्रय–दस्तावेज पंजीबद्ध कराने से इन्कार कर दिये जाने से सौदा कैन्सिल हो जाने के कारण विक्रय दस्तावेज निष्पादित (executed) नहीं हो पाया। इस प्रकार पक्षकारों द्वारा विक्रय दस्तावेज निष्पादित करने से इन्कार करने से प्रार्थी का मामला राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(घ)(iv) के तहत आता है तथा ऐसे मुद्रांक पत्रों के रिफण्ड के लिये कलेक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु मुद्रांक अधिनियम की धारा 59(iii) के प्रावधानों के अन्तर्गत 6 माह की अवधि निर्धारित की हुई है तथा प्रार्थी द्वारा रिफण्ड प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि में ही पेश किया है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए प्रार्थी का प्रकरण मुद्रांक अधिनियम की धारा 59(iii) के अन्तर्गत आना तो माना परन्तु समय सीमा छः माह की अवधि से बाहर की बताते हुए प्रार्थी के रिफण्ड प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने में विधिक भूल की गई है जबकि प्रार्थी द्वारा रिफण्ड प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2011 अर्थात लगभग 4 माह पूर्व ही पेश कर दिया गया था। उक्त कथन के साथ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर उसके द्वारा क्रय किये गये मुद्रांक रिफण्ड हेतु कलेक्टर को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर के निगरानी अधीन आदेशों का समर्थन करते हुए प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इन प्रकरणों में क्रेता प्रार्थी द्वारा विक्रेता से विवादित आराजी क्रय करने का विक्रय पत्र गैर न्यायिक मुद्रांक दिनांक 03.12.2010 को खरीद पर 06.12.2010 को टंकित होने के पश्चात पक्षकारों द्वारा पंजीयन कराने से इन्कार कर दिये जाने से सौदा निरस्त होने से इन मुद्रांकों को वांछित उपयोग में नहीं लिये जा सकने के कारण मुद्रांक–पत्रों की राशि रिफण्ड हेतु प्रार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष रिफण्ड प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2011 को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा रिफण्ड प्रार्थना पत्र पर पेश करने की दिनांक में कांट–छांट होना मानते हुए यह प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2011 को प्रस्तुत होना माना तथा यह अंकित करते हुए

30-10-2015

लगातार.....3

कि **"स्टाम्प एक्ट में रिफण्ड की सपठित धारा 59/3 के अनुसार एक पक्षकार के हस्ताक्षर होने पर रिफण्ड प्ररकण कलक्टर स्टाम्प के समक्ष 6 माह की अवधि में पेश होने पर भुगतान अनुज्ञेय होता है।**

अतः प्रकरण विलम्ब से प्राप्त होने के कारण स्टाम्प भुगतान अनुज्ञेय नहीं है। अतः खारिज किया जाना प्रस्तावित है।"

इस प्रकार कलेक्टर द्वारा सौदा निरस्त हो जाने से प्रार्थी का प्रकरण राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(घ)(vi) के अन्तर्गत आना तो माना परन्तु मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र लेख्य पत्र निष्पादित होने की तिथि से छः माह की अवधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने से मियाद बाहर माना है।

प्रकरणों में प्रश्नगत सम्पत्ति का विक्रय पत्र क्रेता एवं विक्रेता के मध्य दिनांक 06.12.2010 को मुद्रांक पत्रों पर टंकित होने के पश्चात इस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस निष्पादित दस्तावेज का पंजीयन कराने से क्रेता द्वारा इन्कार कर दिये जाने के कारण प्रार्थी का प्रकरण मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(घ)(iv) के अन्तर्गत आता है एवं मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(घ)(iv) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरण में मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अवधि मुद्रांक अधिनियम की धारा 59(i) के तहत दस्तावेज निष्पादन से 6 माह निर्धारित है। प्रकरण में क्रेता द्वारा दिनांक 06.12.2010 को निष्पादित विक्रय पत्र का सौदा निरस्त होने पर इस विक्रय विलेख के मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र कलेक्टर के समक्ष दिनांक 23.03.2011 को अर्थात् लगभग 4 माह के भीतर प्रस्तुत किया गया है। परन्तु कलेक्टर द्वारा इसे दिनांक 23.08.2011 को मानते हुए प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश करने पर रिफण्ड का देय नहीं माना। परन्तु कलेक्टर द्वारा ऐसा कोई भी कारण अंकित नहीं किया गया है जिससे यह पता चले की रिफण्ड प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2011 की बजाए दिनांक 23.08.2011 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली के अवलोकन से भी यहीं स्पष्ट होता है कि रिफण्ड प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2011 को ही प्रस्तुत किया गया था क्योंकि इस प्रार्थना पत्र पर पी.ए. को मार्किंग की गई है जिस पर दिनांक 23.03.2011 अंकित है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी क्रय करने का सौदा कैन्सिल होने पर क्रेता/विक्रेता द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि 6 माह में पेश किये गये है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से क्रेता/विक्रेता दोनों द्वारा निष्पादित विक्रय–विलेख से सम्बन्धित मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से कलेक्टर द्वारा प्रार्थी के रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः कलेक्टर मुद्रांक के आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाते हैं।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानियां स्वीकार की जाकर कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे आदेश प्राप्ति के एक माह में नियमानुसार सम्बन्धित को स्टाम्प रिफण्ड की राशि लौटाये जाने की कार्यवाही करे।

निर्णय सुनाया गया।

10.2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य